

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 5140 / MGNREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2012  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/05/12

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय :- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (मनरेगा) अंतर्गत जिलों को प्राप्त आवंटन के वितरण के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 78/  
वित्त-लेखा/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/10 भोपाल दिनांक 03.01.2011  
(मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-1)
  2. म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का आदेश क्र. 791/एमजीएनआरईजीएस-  
एमपी/ वित्त-लेखा/2011 भोपाल दिनांक 25.01.2011
  3. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र.  
3443/वित्त-लेखा/MGNREGS-MP/11 भोपाल दिनांक 29.03.2011 (मनरेगा  
धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-2)
  4. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र.  
11265/वित्त-लेखा/MGNREGS-MP/NR-4/11 भोपाल, दिनांक 29.11.2011  
(मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-3)

—00—

विषयांतर्गत म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के संज्ञान में आया है कि कतिपय जिले उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। धनराशि निर्गमन में शासनादेशों का पालन अनिवार्य है।

मनरेगा योजना संचालन हेतु उपर्युक्त संदर्भित धनराशि निर्गमन आदेश का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाये एवं इस संदर्भ में एक प्रमाण-पत्र भी दिनांक 30 मई 2012 तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को दिया जाये।

शासन आदेशों के पालन न होने पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने की दशा में संबंधित अधिकारीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(अरुणा शर्मा)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मनरेगा अंतर्गत योजना संचालन हेतु धनराशि निर्गमन के संबंध में (1) मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. 78/वित्त-लेखा/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/10 भोपाल दिनांक 03.01.2011 (मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-1), (2) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का आदेश क्र. 791/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/वित्त-लेखा/2011 भोपाल दिनांक 25.01.2011, (3) म.प्र. शासन का पत्र क्र. 3443/वित्त-लेखा/MGNREGS-MP/11 भोपाल दिनांक 29.03.2011 (मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-2), (4) म.प्र. शासन का पत्र क्र. 11265/वित्त-लेखा/MGNREGS-MP/NR-4/11 भोपाल, दिनांक 29.11.2011 (मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक-3) का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मनरेगा  
जिला- -----

कलेक्टर  
जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मनरेगा  
जिला- -----